न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 55/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री राम कुमावत पुत्र गंगाराम कुमावत मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा
2. श्री अनुराग पुत्र कैलाशचन्द्र कोठारी मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा
3. श्री विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप सेठिया मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा
4. श्री शम्भू लाल पुत्र रामपाल सेठिया मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा
5. मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा

– प्रार्थी

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 23.06.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी श्री राम कुमावत पुत्र गंगाराम कुमावत मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को खाद्य पदार्थ कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) का विकय कर रहा था। मिलावट का शक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री राम कुमावत पुत्र गंगाराम कुमावत मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा.लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा निवासी बी 428 आजाद नगर, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु)का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 22.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.09.2022 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित

प्रकरण मे विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि खाद्य पदार्थ में एसिड वेल्यू 0.76 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 0.50 से अधिक नहीं होना चाहिये। इस प्रकार विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लघंन कर सबस्टैण्डर्ड कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती हैं। उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिए किसी प्रकार हानिकारक नहीं हैं। कृपया इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./303/एफएसएसए/2022/194 दिनांक 22.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के

कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि खाद्य पदार्थ में एसिड वेल्यू 0.76 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 0.50 से अधिक नहीं होना चाहिये। इस प्रकार विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लघंन कर सबस्टैण्डर्ड कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सबस्टैण्डर्ड कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) का विकय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड कपासियां तेल (नमकीन निर्माण हेतु) का विकय किया हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(पप) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/—रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावें

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर ।

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

3 श्री राम कुमावत पुत्र गंगाराम कुमावत, श्री अनुराग कोठारी, श्री विनोद कुमार सेठिया, श्री शम्भूलाल सेठिया मैसर्स के.एस. एन्टरप्राईजेज टेकमेक इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट प्रा. लि. के पास शुभलक्ष्मी प्रोसेस के सामने, चित्तौड रोड भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)